रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2003/आषाढ़ 27, 1925
No. 329]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2003/ASADHA 27, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2003

सा.का.नि. 554(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 111(अ) तारीख 18-2-2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 18-2-2003 में पृष्ठ 1 से 4 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 19 फरवरी, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, परिशिष्ट ख में, मद क 33 पैक किया गया पेयजल (खनिज जल से भिन्न) सारणी में, क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,

"40	(i)	पृथक रूप से विचार किए गए नाशक जीवभार अवशिष्ट	—	0.0001 मिग्रा./लीटर से अनधिक (अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा)

(ii) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट	—	0.0005 मिग्रा./लीटर से अनधिक" (अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा)"

[फा. सं. पी. 15014/3/2003-पी.एच.(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 दिनांक 12-9-1955 का.नि.आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 853(अ) दिनांक 30-12-2002 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2003

G.S.R. 554(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number GSR 111(E) dated the 18th February, 2003, at pages 1 to 4, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th February, 2003, draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 was published, as required by sub-section (i) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, (37 of 1954), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 19th February, 2003.

And whereas, objections or suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely,—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2004.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B, in item A.33 relating to Packaged drinking water (other than Mineral Water), in the table, for serial number 40 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely,—

"40	(i)	Pesticide residues considered individually	—	Not more than 0.0001 mg/litre (The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein).
	(ii)	Total pesticide residues	—	Not more than 0.0005 mg/litre (The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods meeting the residue limits specified herein)."

[F. No. P.15014/3/2003-PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 853(E) dated 30-12-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.